Design an Emblem and Create a Tagline for National Archives of India

The National Archives of India is the repository of the non-current records of the Government of India and is holding them in trust for the use of administrators and scholars. It is an Attached Office of the Ministry of Culture, Government of India.

It was set up on **11 March 1891** in Calcutta (Kolkata) as the **Imperial Record Department.** With the subsequent transfer of the National Capital from Calcutta to New Delhi in 1911, it was **shifted to its present building** at the crossing of Janpath and Rajpath in 1926.

As the nodal agency for the implementation of the Public Records Act,1993 and Public Record Rules, 1997, the National Archives of India is responsible for streamlining the management of records of central government and public sector undertakings.

In addition to the public records, the National Archives of India also has a large collection of Private Archives of eminent personalities of India.

For details visit our website: www.nationalarchives.nic.in

National Archives of India seeks entries for design of an Emblem with a Tagline on the occasion of 125th anniversary of the department.

Indian Citizens are invited to design/suggest a suitable Emblem along with a tagline to create awareness for the preservation of archival heritage of the Nation for the posterity.

The last date of submission is **27th February, 2015**.

The selected entry will be awarded a prize of **Rs. 50,000/-**.

Moderator for the task

Shri Rajmani,
Assistant Director of Archives,
Email Id- **naiwebcoordinator@gmail.com**

Design an Emblem & Create a Tagline for National Archives of India

Terms and Conditions:

- The Competition is open to all citizens of India around the world.
- All entries must be submitted to the creative corner section of www.mygov.in. Entries submitted through any other medium/ mode would not be considered for evaluation.
- The winning design of the emblem and tagline would be the intellectual property of the Government of India and the winner cannot exercise any right over it, after acceptance of the prize. The prize winning emblem and tagline is meant to be used by Government of India for promotional and display purposes, IEC materials and also for any other use as may be deemed appropriate for the initiative.
- The emblem and tagline must not contain any provocative, objectionable or inappropriate content.
- Multiple entries by the same participant would not be considered.
- The participant must be the same person who has designed the emblem and tagline. The plagiarism would not be allowed.
- Please note that the emblem and tagline must be original and should not violate any provision of the Indian Copyright Act, 1957.
- Anyone found infringing on others' copyright would be disqualified from the competition. Government of India does not bear any responsibility for copyright violations or infringements of intellectual property carried out by the participants.
- Participant is to make sure that his/ her My Gov profile is accurate and updated since the Ministry would be using this for further communication. This includes details such as name, photo and phone number. Entries with incomplete profiles would not be considered.
- National Archives of India and Ministry of Culture reserve the right to cancel or amend all or any part of the Contest and/ or the Terms & Conditions/ Technical Parameters/ Evaluation Criteria. However, any changes to the Terms & Conditions/ Technical Parameters/ Evaluation Criteria, or cancellation of the Contest, will be updated/ posted on the My Gov platform. It would be the responsibility of the participants to keep them informed as to any changes in the Terms & Conditions/ Technical Parameters/ Evaluation Criteria stated for this Contest.

Technical Parameters

- Participants should upload the emblem and tagline in JPEG or PNG or PDF format only.
- The emblem should be designed on a digital platform. The winner of the competition shall be required to submit the design in an editable and open file format.
- Participants should not imprint or watermark emblem design.
- A small description should be provided to explain the concept.
- The tagline should be catchy and should not be more than 6-8 words.
- Emblem and tagline should be designed in colour.
- The size of the emblem and tagline may vary from 4 cms X 4 cms to 60 X 60 cms.
- The emblem and tagline should be in high resolution with minimum 300 DPI.

Evaluation Criteria

- All the entries received by the National Archives of India would be assessed by a ***Screening Committee*** for an initial evaluation. After such screening, all approved entries would be assessed for awards by a ***Selection Committee*** for final evaluation.
- Entries would be judged on the basis of elements of creativity, originality, composition, technical excellence, simplicity, artistic merit and visual impact, how well they communicate the theme of the scheme and popularity (number of likes on MyGov). Once the entry is submitted on MyGov, other MyGov users can 'like' the entries. Once an entry is submitted, the person who submitted the entry can share an auto generated Post stating that he or she has shared an entry on MyGov. Similarly, those who 'like' every entry can share an auto-generated Post stating they have liked a particular entry.
- The decision of the Selection Committee would be final and binding on all the contestants and no clarifications would be issued to any participants for any of their decisions.
- The disqualified entries shall not be used by the National Archives of India for any purpose and the National Archives of India shall have no intellectual rights over the same.

Any legal proceedings arising out of the competition/ its entries/ winners shall be subject to local jurisdiction of Delhi State.

राष्ट्रीय अभिलेखागार हेतु प्रतीक चिह्न का डिजाइन बनाएं और वाक्यांश (टैगलाइन) सृजित करें

राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के असामयिक अभिलेखों का भंडारगृह है और यह प्रशासकों तथा शोधार्थियों के प्रयोग के लिए इन्हें न्यास के रूप में रखता है। यह संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का संबद्ध कार्यालय है ।

इसे **11 मार्च 1891** को कलकत्ता (कोलकाता) में **इम्पीरियल रिकार्ड डिपार्टमेंट** के रूप में स्थापित किया गया था । 1911 में राष्ट्रीय राजधानी के कलकत्ता से नई दिल्ली में स्थानांतरण के पश्चात् इसे 1926 में जनपथ और राजपथ के क्रासिंग पर **वर्तमान भवन** में स्थानांतरित किया गया था ।

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय अभिलेखागार केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के अभिलेखों के प्रबंधन को सरल ओर कारगर बनाने के लिए उत्तरदायी है । विस्तृत ब्यौरे के लिए हमारी वेबसाइट www.nationalarchives.nic.in देखें ।

लोक अभिलेखों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के निजी दस्तावेजों का भी संग्रह है ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार विभाग की 125वीं वर्षगांठ पर वाक्यांश (टैगलाइन) के साथ प्रतीक चिह्न की डिजाइन हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित करता है ।

भारतीय नागरिकों से वाक्यांश (टैगलाइन) के साथ उपयुक्त प्रतीक चिह्न के डिजाइन/सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं ताकि राष्ट्र की अभिलेखीय विरासत के परिरक्षण हेतु जागरूकता पैदा की जा सके ।

प्रविष्टि प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **27 फरवरी 2015 है** ।

चयनित प्रविष्टि को **50,000/- रुपये** का पुरस्कार दिया जाएगा ।

कार्य संचालक

श्री राजमणि

अभिलेख सहायक निदेशक

इ मेल-naiwebcoordinator@gmail.com

राष्ट्रीय अभिलेखागार हेतु प्रतीक चिह्न का डिजाइन बनाएं और वाक्यांश (टैगलाइन) सृजित करें

शर्तें और निबंधन

- यह प्रतियोगिता विश्व के सभी भारतीय नागरिकों के लिए है ।
- सभी प्रविष्टियां www.mygov.in के क्रिएटीव कार्नर में प्रस्तुत की जाएं । अन्य माध्यम/प्रकार के जरिए प्रस्तुत की गई प्रविष्टियों पर मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा ।
- प्रतीक चिह्न और टैगलाइन का विजेता डिजाइन भारत सरकार की बौद्धिक संपत्ति होगी तथा पुरस्कार प्राप्ति के पश्चात् विजेता का उस पर अधिकार नहीं होगा । पुरस्कार प्राप्त प्रतीक चिह्न और टैगलाइन भारत सरकार द्वारा संवर्धन तथा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ, आईईसी सामग्री अथवा पहल के लिए उपयुक्त समझे गए किसी अन्य प्रयोग के लिए प्रयुक्त किया जाएगा ।
- प्रतीक चिह्न और टैगलाइन में कोई भी उत्तेजक, आपत्ति जनक अथवा अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए ।
- एक ही प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत एकाधिक प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- प्रतीक चिह्न और टैगलाइन का डिजाइन स्वयं प्रतिभागी द्वारा तैयार किया गया हो । नकल की अनुमति नहीं है ।
- कृपया ध्यान रखें कि प्रतीक चिह्न और टैगलाइन मौलिक होना चाहिए और भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए ।
- किसी प्रतिभागी को अन्य के कॉपीराइट का उल्लंघन करते पाए जाने पर उसे प्रतियोगिता के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा । भारत सरकार प्रतिभागियों द्वारा किए गए कॉपीराइट अथवा बैद्धिक संपदा के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगी ।
- प्रतिभागी यह सुनिश्चित करें कि उसका Mygov. प्रोफाइल अचूक और अद्यतन हो क्योंकि मंत्रालय द्वारा सम्प्रेषण हेतु इसका प्रयोग किया जाएगा । इसमें नाम, छायाचित्र तथा फोन नंबर का ब्यौरा शामिल है । अधूरे प्रोफाइल के साथ प्रस्तुत की गई प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- राष्ट्रीय अभिलेखागार और संस्कृति मंत्रालय को प्रतियोगिता और/अथवा शर्तों और निबंधन/तकनीकी मापदंडों/मूल्यांकन कसौटी को निरस्त करने अथवा उसमें अथवा उसके किसी अंश में संशोधन करने का अधिकार होगा । तथापि, शर्तों और निबंधनों/तकनीकी मापदंडों/मूल्यांकन कसौटी में किए गए किन्हीं परिवर्तनों अथवा प्रतियोगिता रद्द करने संबंधी सूचना Mygov पर डाली जाएगी । यह प्रतिभागियों का उत्तरदायित्व है कि वे इस प्रतियोगिता के लिए उल्लिखित शर्तों और

निबंधनों/तकनीकी मापदंडों/मूल्यांकन कसौटी में किए गए किन्हीं परिवर्तनों के संबंध में अद्यतन सूचना रखें ।

तकनीकी मापदंड

- प्रतिभागी प्रतीक चिह्न और टैगलाइन केवल जेपीईजी अथवा पीएनजी अथवा पीडीएफ में ही अपलोड करें ।
- प्रतीक चिह्न डिजिटल प्लेटफार्म पर बना होना चाहिए । प्रतियोगिता के विजेता को डिजाइन संपादन करने योग्य और ओपन फाइल में प्रस्तुत करना होगा ।
- प्रतिभागी प्रतीक चिह्न के डिजाइन पर छाप अथवा वाटरमार्क न लगाएं ।
- संकल्पना के स्पष्टीकरण हेतु संक्षिप्त विवरण दिया जाए ।
- टैगलाइन आकर्षक हो और 6-8 शब्दों से अधिक न हो ।
- प्रतीक चिह्न और टैगलाइन रंगीन हो ।
- प्रतीक चिह्न और टैगलाइन का आकार 4 सेमी X 4 सेमी से 60X60 सेमी तक हो सकता है ।
- प्रतीक चिह्न और टैगलाइन न्यूनतम 300 डीपीआई के साथ हाइरेजोल्यूशन में होना चाहिए ।

मूल्यांकन कसौटी

- राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्राप्त की गई सभी प्रविष्टियां आरंभिक मूल्यांकन हेतु जांच समिति द्वारा निर्धारित की जाएंगी । जांच के पश्चात् सभी अनुमोदित प्रविष्टियों का निर्धारण अंतिम मूल्यांकन और पुरस्कार हेतु चयन समिति द्वारा किया जाएगा ।
- प्रविष्टियों का निर्णय सृजनशीलता, मौलिकता, संरचना, तकनीकी उत्कृष्टता, सरलता, कलात्मकता और दृष्यता, उसकी सम्प्रेषनीयता तथा लोकप्रियता (Mygov पर लाइक की संख्या) के आधार पर किया जाएगा । प्रविष्टि My Gov पर प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् Mygov प्रयोक्ता प्रविष्टियों को 'लाइक' कर सकते हैं । प्रविष्टि के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् प्रविष्टि प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति स्वसृजित पोस्ट यह कहते हुए साझा कर सकता है कि उसने Mygov पर प्रविष्टि साझा की है । इसी प्रकार, जिन्होंने प्रत्येक प्रविष्टि 'लाइक' की हों वे स्वसृजित पोस्ट यह कहते हुए साझा कर सकते हैं कि उन्होंने किसी विशेष प्रविष्टि को 'लाइक' किया है ।
- चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और सभी प्रतिभागियों के लिए बाध्य होगा तथा उसके किसी निर्णय के लिए किसी भी प्रतिभागी को स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा ।
- राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किसी भी प्रयोजन हेतु अपात्र प्रविष्टियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार का इन पर बौद्धिक अधिकार नहीं होगा ।

प्रतियोगिता/उसकी प्रविष्टियों/विजेताओं के संबंध में उत्पन्न विवाद संबंधी कानूनी प्रक्रिया दिल्ली सरकार के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अध्यधीन होगी ।

Design a Logo for 125th Anniversary of National Archives of India

The National Archives of India is the repository of the non-current records of the Government of India and is holding them in trust for the use of administrators and scholars. It is an Attached Office of the Ministry of Culture.

It was set up on **11 March 1891** in Calcutta (Kolkata) as the **Imperial Record Department.** With the subsequent transfer of the National Capital from Calcutta to New Delhi in 1911, it was **shifted to its present building** in 1926 at the crossing of Jan path and Raj path

National Archives of India seeks entries for logo for 125th anniversary celebrations.

Citizens are invited to design/suggest a suitable logo for the occasion.

The last date of submission is **27th February, 2015**.

The selected entry will be awarded a prize of **Rs. 50,000/-**.

Moderator for the task

Shri Rajmani,
Assistant Director of Archives,
Email Id- naiwebcoordinator@gmail.com

Design of a Logo for125th Anniversary of National Archives Of India

Terms and Conditions:

- The Competition is open to all citizens of India around the world.
- All entries must be submitted to the creative corner section of www.mygov.in. Entries submitted through any other medium/ mode would not be considered for evaluation.
- The winning design of the logo would be the intellectual property of the Government of India and the winner cannot exercise any right over it, after acceptance of the prize. The prize winning logo is meant to be used by Government of India for promotional and display purposes, IEC materials and also for any other use as may be deemed appropriate for the initiative.
- The logo must not contain any provocative, objectionable or inappropriate content.
- Multiple entries by the same participant would not be considered.
- The participant must be the same person who has designed the logo. The plagiarism would not be allowed.
- Please note that the logo must be original and should not violate any provision of the Indian Copyright Act, 1957.
- Anyone found infringing on others' copyright would be disqualified from the competition. Government of India does not bear any responsibility for copyright violations or infringements of intellectual property carried out by the participants.
- Participant is to make sure that his/ her My Gov profile is accurate and updated since the Ministry would be using this for further communication. This includes details such as name, photo and phone number. Entries with incomplete profiles would not be considered.
- National Archives of India and Ministry of Culture reserve the right to cancel or amend all or any part of the Contest and/ or the Terms & Conditions/ Technical Parameters/ Evaluation Criteria. However, any changes to the Terms & Conditions/ Technical Parameters/ Evaluation Criteria, or cancellation of the Contest, will be updated/ posted on the My Gov platform. It would be the responsibility of the participants to keep them informed as to any changes in the Terms & Conditions/ Technical Parameters/ Evaluation Criteria stated for this Contest.

Technical Parameters

- Participants should upload the logo in JPEG or PNG or PDF format only.
- The logo should be designed on a digital platform. The winner of the competition shall be required to submit the design in an editable and open file format.

- Participants should not imprint or watermark logo design.

- A small description should be provided to explain the concept.

- logo should be designed in colour.

- The size of the logo may vary from 4 cms X 4 cms to 60 X 60 cms.

- The logo should be in high resolution with minimum 300 DPI.

Evaluation Criteria

- All the entries received by the National Archives of India would be assessed by a ***Screening Committee*** for an initial evaluation. After such screening, all approved entries would be assessed for awards by a ***Selection Committee*** for final evaluation.
- Entries would be judged on the basis of elements of creativity, originality, composition, technical excellence, simplicity, artistic merit and visual impact, how well they communicate the theme of the scheme and popularity (number of likes on My Gov). Once the entry is submitted on My Gov, other My Gov users can 'like' the entries. Once an entry is submitted, the person who submitted the entry can share an auto generated Post stating that he or she has shared an entry on My Gov. Similarly, those who 'like' every entry can share an auto-generated Post stating they have liked a particular entry.
- The decision of the Selection Committee would be final and binding on all the contestants and no clarifications would be issued to any participants for any of their decisions.
- The disqualified entries shall not be used by the National Archives of India for any purpose and the National Archives of India shall have no intellectual rights over the same.

Any legal proceedings arising out of the competition/ its entries/ winners shall be subject to local jurisdiction of Delhi State.

राष्ट्रीय अभिलेखागार की 150वीं वर्षगांठ के लिए शब्द चिह्न (लोगो) बनाएं

राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के असामयिक अभिलेखों का भंडारगृह है और यह प्रशासकों तथा शोधार्थियों के प्रयोग के लिए इन्हें न्यास के रूप में रखता है। यह संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का संबद्ध कार्यालय है ।

इसे **11 मार्च 1891** को कलकत्ता (कोलकाता) में **इम्पीरियल रिकार्ड डिपार्टमेंट** के रूप में स्थापित किया गया था । 1911 में राष्ट्रीय राजधानी के कलकत्ता से नई दिल्ली में स्थानांतरण के पश्चात् इसे 1926 में जनपथ और राजपथ के क्रासिंग पर **वर्तमान भवन** में स्थानांतरित किया गया था ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार विभाग की 125वीं वर्षगांठ हेतु शब्द चिह्न (लोगो) बनाने हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित करता है ।
इस अवसर पर उपयुक्त शब्द चिह्न (लोगो) बनाने/सुझाने के लिए भारतीय नागरिकों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं ।
प्रविष्टि प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **27 फरवरी 2015 है** ।
चयनित प्रविष्टि को **50,000/- रुपये** का पुरस्कार दिया जाएगा ।

कार्य संचालक
श्री राजमणि
अभिलेख सहायक निदेशक
इ मेल-naiwebcoordinator@gmail.com

राष्ट्रीय अभिलेखागार की 150वीं वर्षगांठ के लिए शब्द चिह्न (लोगो) बनाएं

शर्तें और निबंधन

- यह प्रतियोगिता विश्व के सभी भारतीय नागरिकों के लिए है ।
- सभी प्रविष्टियां www.mygov.in के क्रिएटीव कार्नर में प्रस्तुत की जाएं । अन्य माध्यम/प्रकार के जरिए प्रस्तुत की गई प्रविष्टियों पर मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा ।
- शब्द चिह्न (लोगो) का विजेता डिजाइन भारत सरकार की बौद्धिक संपत्ति होगी तथा पुरस्कार प्राप्ति के पश्चात् विजेता का उस पर अधिकार नहीं होगा । पुरस्कार प्राप्त शब्द चिह्न (लोगो) भारत सरकार द्वारा संवर्धन तथा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ, आईईसी सामग्री अथवा पहल के लिए उपयुक्त समझे गए किसी अन्य प्रयोग के लिए प्रयुक्त किया जाएगा ।
- शब्द चिह्न (लोगो) में कोई भी उत्तेजक, आपत्ति जनक अथवा अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए ।
- एक ही प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत एकाधिक प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- शब्द चिह्न (लोगो) का डिजाइन स्वयं प्रतिभागी द्वारा तैयार किया गया हो । नकल की अनुमति नहीं है ।
- कृपया ध्यान रखें कि शब्द चिह्न (लोगो) मौलिक होना चाहिए और भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए ।
- किसी प्रतिभागी को अन्य के कॉपीराइट का उल्लंघन करते पाए जाने पर उसे प्रतियोगिता के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा । भारत सरकार प्रतिभागियों द्वारा किए गए कॉपीराइट अथवा बैद्विक संपदा के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगी ।
- प्रतिभागी यह सुनिश्चित करें कि उसका Mygov. प्रोफाइल अचूक और अद्यतन हो क्योंकि मंत्रालय द्वारा सम्प्रेषण हेतु इसका प्रयोग किया जाएगा । इसमें नाम, छायाचित्र तथा फोन नंबर का ब्यौरा शामिल है । अधूरे प्रोफाइल के साथ प्रस्तुत की गई प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- राष्ट्रीय अभिलेखागार और संस्कृति मंत्रालय को प्रतियोगिता और/अथवा शर्तों और निबंधन/तकनीकी मापदंडों/मूल्यांकन कसौटी को निरस्त करने अथवा उसमें अथवा उसके किसी अंश में संशोधन करने का अधिकार होगा । तथापि, शर्तों और निबंधनों/तकनीकी मापदंडों/मूल्यांकन कसौटी में किए गए किन्हीं परिवर्तनों अथवा प्रतियोगिता रद्द करने संबंधी सूचना Mygov पर डाली जाएगी । यह प्रतिभागियों का उत्तरदायित्व है कि वे इस प्रतियोगिता के लिए उल्लिखित शर्तों और निबंधनों/तकनीकी मापदंडों/मूल्यांकन कसौटी में किए गए किन्हीं परिवर्तनों के संबंध में अद्यतन सूचना रखें ।

तकनीकी मापदंड

- प्रतिभागी शब्द चिह्न (लोगो) केवल जेपीईजी अथवा पीएनजी अथवा पीडीएफ में ही अपलोड करें ।
- शब्द चिह्न (लोगो) प्लेटफार्म पर बना होना चाहिए । प्रतियोगिता के विजेता को डिजाइन संपादन करने योग्य और ओपन फाइल में प्रस्तुत करना होगा ।
- प्रतिभागी शब्द चिह्न (लोगो) के डिजाइन पर छाप अथवा वाटरमार्क न लगाएं ।
- संकल्पना के स्पष्टीकरण हेतु संक्षिप्त विवरण दिया जाए ।
- शब्द चिह्न (लोगो) रंगीन होना चाहिए ।
- शब्द चिह्न (लोगो)का आकार 4 सेमी X 4 सेमी से 60X60 सेमी तक हो सकता है ।
- शब्द चिह्न (लोगो) न्यूनतम 300 डीपीआई के साथ हाइरेजोल्यूशन में होना चाहिए ।

मूल्यांकन कसौटी

- राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्राप्त की गई सभी प्रविष्टियां आरंभिक मूल्यांकन हेतु जांच समिति द्वारा निर्धारित की जाएंगी । जांच के पश्चात् सभी अनुमोदित प्रविष्टियों का निर्धारण अंतिम मूल्यांकन और पुरस्कार हेतु चयन समिति द्वारा किया जाएगा ।
- प्रविष्टियों का निर्णय सृजनशीलता, मौलिकता, संरचना, तकनीकी उत्कृष्टता, सरलता, कलात्मकता और दृष्यता, उसकी सम्प्रेषनीयता तथा लोकप्रियता (Mygov पर लाइक की संख्या) के आधार पर किया जाएगा । प्रविष्टि My Gov पर प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् Mygov प्रयोक्ता प्रविष्टियों को 'लाइक' कर सकते हैं । प्रविष्टि के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् प्रविष्टि प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति स्वसृजित पोस्ट यह कहते हुए साझा कर सकता है कि उसने Mygov पर प्रविष्टि साझा की है । इसी प्रकार, जिन्होंने प्रत्येक प्रविष्टि 'लाइक' की हों वे स्वसृजित पोस्ट यह कहते हुए साझा कर सकते हैं कि उन्होंने किसी विशेष प्रविष्टि को 'लाइक' किया है ।
- चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और सभी प्रतिभागियों के लिए बाध्य होगा तथा उसके किसी निर्णय के लिए किसी भी प्रतिभागी को स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा ।
- राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किसी भी प्रयोजन हेतु अपात्र प्रविष्टियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार का इन पर बौद्धिक अधिकार नहीं होगा ।

प्रतियोगिता/उसकी प्रविष्टियों/विजेताओं के संबंध में उत्पन्न विवाद संबंधी कानूनी प्रक्रिया दिल्ली सरकार के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अध्यधीन होगी।